न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या: 290/2020

प्रार्थी
विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
(1) सरपंच, ग्राम पंचायत, पोसालिया, तहसील– शिवगंज, जिला–सिरोही
(2) **श्री भंवरलाल** पुत्र हंसाजी माली, निवासी– पोसालिया, तह. शिवगंज, जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:
1. श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, सिरोही
2. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अप्रार्थी संख्या–2 (भंवरलाल) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 25 अक्टूबर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी **भंवरलाल** पुत्र हंसाजी माली, निवासी– पोसालिया के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 06.2.1017 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या **14** दिनांक 29.5.2018 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 (**भंवरलाल**) की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या–1 (एक) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये व न ही इनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, सिरोही ने प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत पट्टा जारी करने का प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 06.2.2017 को पारित कर इस प्रस्ताव के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या **14** दिनांक 29.5.2018 को क्षेत्रफल **1224.50** वर्गफीट भूमि का नियमों के विपरित जारी कर अवहेलना की गई है। ग्राम पंचायत पोसालिया को आबादी भूमि में विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार प्रदत्त है। इस पट्टे के परिवाद के संबंध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति शिवगंज के पत्र क्रमांक:पसशि/पंचायत/2019/1173 दिनांक 18.9.2019 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिक[illegible] परिषद, सिरोही के पत्र क्रमांक:जिपसि/ पंचायत/जांच/[illegible] के द्वारा निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम,

.....पेज 2 पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:42 IST
Reason: SelfAttested

1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है, और पट्टा जारी कराये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें प्रारूप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा, परन्तु ग्राम पंचायत, पोसालिया ने पुराने गृह के स्थान पर खुले व खाली भूखण्ड का विक्रय विलेख जारी किया है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत पुराने गृहो के विनियमितीकरण का प्रावधान है, परन्तु ग्राम पंचायत, पोसालिया ने नियमों के विपरित खुले भूखण्ड़ का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में पट्टा विलेख जारी किया है, जो अप्रार्थी संख्या–2 को अनुचित लाभ दिए जाने की नियत से नियमों के विरूद्ध जारी किया है। ग्राम पंचायत, पोसालिया ने अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) हेतु नियम 146 के अन्तर्गत भूमि का मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचो की मौका कमेटी का गठन कर मौका निरीक्षण में प्रार्थी का पुराना गृह एवं कब्जा बताया, लेकिन परिवाद की जांच करने पर मौके पर भूखण्ड खाली पाया गया। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 29.5.2018 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने अप्रार्थी संख्या–2 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 06.02.2017 एवं पट्टा विलेख संख्या 14 दिनांक 29.05.2018 दो भिन्न भिन्न आदेशों को निरस्त करने हेतु एक ही निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है, जो विधि विरुद्ध है। यह कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के हक में उसके पुश्तैनी आवास का विनियमितिकरण करते हुए पट्टा संख्या 14 दिनांक 29.5.2018 को विधि अनुसार जारी किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटी या अनियमितता नहीं की गई है। यह कि अप्रार्थी संख्या–2 को प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत, पोसालिया के सरपंच के विरूद्ध एक गलत व झूठी शिकायत श्री बाबुलाल मीणा द्वारा की गई थी, जिसकी जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज को जांच दी गई थी, जिन्होने उक्त शिकायत के तथ्यों की जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें श्री श्यामसुन्दर सिंह तथा श्री राजेन्द्रसिंह राठौड, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज सदस्य थे। उक्त गठित कमेटी द्वारा श्री बाबुलाल द्वारा की गई शिकायत के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जांच कर रिपोर्ट विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज द्वारा विचार कर परीक्षण करके विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज द्वारा अपनी टिप्पणी के साथ जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर, सिरोही व मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रेषित की गई। उक्त जांच रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या–2 के हक में ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा जारी पट्टों में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई थी तथा सरपंच के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही के आदेश क्रमांक जिपसि/पंचायत/जांच/2019/457–61 दिनांक 23.4.2019 के द्वारा उक्त शिकायत प्रकरण को संचित कर दिया गया था। प्रकरण एक बार शिकायत को आधारहीन मानकर संचित कर देने के बाद पुनः दिनांक 14.9.2020 को निगरानी प्रस्तुत करने के निर्देश देने का कथन गलत है तथा ऐसा आदेश यदि किया गया है तो वह आरम्भतः शून्य तथा ऐसे आदेश की पालना में जो निगरानी प्रस्तुत की गई है वह भी कानूनन गलत हे। गांव पोसालिया में जोयला ... के पास अप्रार्थी संख्या–2 के पुश्तैनी स्वामित्व तथा कब्जे के आवासीय मकान आए हुए हैं, जिनका तथा उनके पट्टे जारी नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या–2 के द्वारा दिनांक 22.11.2016 को आवेदन करने

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:42 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

पर पत्रावली दर्ज की गई, उसके बाद पंचायत बैठक में अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर आपत्ति नोटिस जारी किए, निर्धारित अवधि में आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर गवाहों के बयान लेकर विधि अनुसार पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित हुआ है उसके बाद अप्रार्थी संख्या–2 से शुल्क प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या–2 के हक में पुश्तैनी आवास का पट्टा नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है, जो विधि अनुसार है। सरपंच से दुर्भावना रखने के कारण गलत शिकायत की गई है, जिसके आधार पर उक्त निगरानी प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 का पुश्तैनी आवास मौके पर मौजूद होने से विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या–2 ने अपने पुराने आवास को हटाकर ग्राम पंचायत से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर नए भवन का निर्माण कार्य किया है। अप्रार्थी संख्या–2 के आवास में पुराने समय से विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। राशनकार्ड व पहचान संबंधी दस्तावेज भी इसी स्थान के बने हुए है। यह कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में पट्‌टा जारी करने की कार्यवाही के दौरान गठित मौका निरीक्षण कमेटी के मौका निरीक्षण के समय मौके पर अप्रार्थी संख्या–2 का पुराना पुराना आवास बना हुआ था तथा उसके आधार पर मौका निरीक्षण कर वार्ड पंचों द्वारा रिपोर्ट बनाई गई थी। पट्टा जारी करने के काफी समय बाद पुराना जर्जर आवास के स्थान पर नया आवास बनाए जाने हेतु आवेदन करने पर निर्माण स्वीकृती जारी की गई तथा उसके बाद मौके से पुराने आवास को हटाकर उसके स्थान पर नया आवास बनाया गया है। पुराने आवास को हटाने के समय मौका देखने पर वहां पर मकान बना हुआ होना सभव नहीं हैं। पुरानी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं कर पुराने आवास का मलबा हटाए जाने के बाद की रिपोर्ट पर विश्वास कर पुराने गृह को अब भूखण्ड बताया जा रहा है, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के हक में विधि अनुसार पूर्ण प्रक्रिया के तहत पट्टा विक्रय विलेख जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार से नियमों की अवहेलना नहीं हुई है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव व आदेश के विरूद्ध अपील पंचायत समिति में किए जाने का प्रावधान है, प्रार्थी स्वयं अपील अधिकारी है, जिसके द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कानूनन परिपोषणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं कर सीधे निगरानी प्रस्तुत की है, जो कानूनन गलत है। प्रस्ताव व पट्‌टे के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 61 के तहत अपील किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी संख्या–2 के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के हक में पट्टा जारी करने के बाद उसका पंजीयन विधि अनुसार हो चुका है। विधि में पंजीकृत दस्तावेज के सम्बंध में उपधारणा है कि वह सही दस्तावेज है। अप्रार्थी संख्या–2 के हक में जारी पट्‌टा पंजीकृत दस्तावेज होने के कारण एक पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर एक पंजीकृत दस्तावेज केवल मात्र सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। यह कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के हक में पट्टा संख्या 14 दिनांक 29.5.2018 को उसके पुश्तैनी आवास का नियमानुसार जारी किया गया है। पट्टा जारी किया उस समय मौके पर अप्रार्थी संख्या–2 का पुश्तैनी आवास पुराना जर्जर होने से पुनः नया निर्माण करने हेतु ग्राम पंचायत से नियमानुसार दिनांक 09.9.2019 को निर्माण स्वीकृती प्राप्त कर निर्माण कार्य [illegible]। यह कि प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज की पश्चात [illegible] जो रिपोर्ट मलबा हटाए जाने के बाद की रिपोर्ट है जिस पर कानूनन [illegible] है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:42 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

(3) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी भंवरलाल पुत्र हंसाजी माली, निवासी— पोसालिया के पक्ष में पंचायत संकल्प संख्या 4 दिनांक 06.2.2017 के अनुसरण में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल **1224.50** वर्गफीट का पट्टा संख्या **14** दिनांक 29.5.2018 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23—क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा :—

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल—

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये— 100 / — रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये— 200 / — रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप—खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप—खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड़ (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति 31.12.2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान'' प्रतिस्थापित की गई है।

इस संबंध में प्रार्थी पक्ष का मुख्यतः कथन यह है कि ''ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या—2 के पक्ष में खाली भूखण्ड़ का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया गया है, जो नियम के विरुद्ध है।'' जबकि अप्रार्थी संख्या—2 का यह कथन है कि ''ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या—2 के हक में पट्टा संख्या **14** दिनांक 29.5.2018 को उसके पुश्तैनी आवास का नियमानुसार जारी किया गया है। पट्टा जारी किया उस समय मौके पर अप्रार्थी संख्या—2 का पुश्तैनी आवास पुराना जर्जर होने से पुनः नया निर्माण करने हेतु ग्राम पंचायत से नियमानुसार दिनांक 09.9.2019 को निर्माण स्वीकृती प्राप्त कर निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था।'' अप्रार्थी संख्या—2 का यह भी कथन है कि ''प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज की पश्चातवर्ती जांच रिपोर्ट मलबा हटाए जाने के बाद की रिपोर्ट है जिस पर कानूनन विचार नहीं किया जा सकता है।'' अप्रार्थी संख्या—2 की ओर से जवाब में अंकित कथन के समर्थन में श्री बाबुलाल मीणा, निवासी— पोसालिया द्वारा ग्राम पंचायत, पोसालिया के तत्कालीन सरपंच व सचिव के द्वारा जारी पट्टो की जांच के संबंध में पूर्व में [illegible] की जांच हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज द्वारा श्री [illegible] सिंह राठौड, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज [illegible] प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज की गठित कमेटी द्वारा [illegible] जांच की जांच रिपोर्ट की

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:42 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

छाया प्रति एवं इस जांच में लिये गये बयानों एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही को अग्रेषित करने के संबंध में जारी पत्र आदि की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई है, जिनका अवलोकन करने पर यह पाया कि श्री बाबुलाल मीना, निवासी– पोसालिया द्वारा ग्राम पंचायत, पोसालिया के सरपंच व सचिव द्वारा जारी किये गये पट्टो के संबंध में पूर्व में प्रस्तुत परिवाद की जांच के संबंध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह राठौड, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज एवं श्री श्याम सुन्दर सिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज की गठित जांच कमेटी द्वारा उक्त शिकायत के संबंध में की गई जांच केवल मात्र ग्राम पंचायत, पोसालिया की प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड मिसल संख्या 13/2016–17 के आधार पर की गई है, जिसमें केवल पट्टा जारी करने की प्रक्रिया के संबंध में उल्लेख किया गया है, लेकिन इस जांच में गठित जांच कमेटी ने उक्त पट्टे की भूमि के मौका की रिपोर्ट इस जांच रिपोर्ट अंकित नही की है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त जांच कमेटी द्वारा उक्त पट्टे की जांच के समय उक्त पट्टे की भूमि के मौके की जांच नही की गई है। जबकि प्रार्थी पक्ष द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज के पत्र क्रमंकाःपंसशि/पंचायत/2019/1173 दिनांक 18.9.2019 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही को प्रेषित तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जिसका अवलोकन करने पर यह पाया गया कि श्री बाबुलाल मीणा, निवासी– पोसालिया द्वारा ग्राम पंचायत, पोसालिया के सरपंच व सचिव द्वारा जारी पट्टों की जांच के संबंध में प्रस्तुत परिवाद पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज स्वयं द्वारा दिनांक 23.8.2019 को मौका देखकर इस पट्टे के संबंध में मौके व रेकर्ड अनुसार जांच रिपोर्ट उनके उक्त पत्र दिनांक 18.9.2019 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही को प्रेषित की गई है, जिसमें प्रश्नगत पट्टे की भूमि मौके पर खाली भूखण्ड़ होना पाया गया है, इस जांच रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है कि भूखण्ड़ राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 के तहत बाजार दर/आम नीलामी से विक्रय करने योग्य पाये गये, जिससे ग्राम पंचायत, पोसालिया को राजस्व की वित्तिय हानि हुई है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि के मौके पर पुराना पुश्तैनी आवासीय मकान होने के संबंध में ऐसी कोई अन्य दस्तावेज साक्ष्य यथा पुराना विद्युत बिल आदि प्रस्तुत नही किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत खाली भूखण्ड़ का पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत, पोसालिया को राजस्व की वित्तिय हानि पॅहुचाई है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने एवं भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत अप्रार्थी भंवरलाल पुत्र हंसाजी माली, निवासी– पोसालिया के पक्ष में पट्टा जारी करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 06.2.2017 एवं इसके अनुसरण में क्षेत्रफल 1224.5 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 14 दिनांक 29.5.2018 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्[illegible]तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25 अक्टूम्बर, 2023 [illegible] ए–ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:42 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते